डब्ल्यू डब्ल्यू एफ-इंडिया की राज्य संचालक संगीता सक्सेना को सेवानिवृत्ति पर विदाई

भोपाल(काप्र)।

डब्ल्यू डब्ल्यू एफ-इंडिया, मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ राज्य कार्यालय की राज्य संचालक श्रीमती संगीता सक्सेना, संगठन को 23 वर्षों तक अपनी सेवा देने के पश्चात आगामी 30 अप्रैल को सेवानिवृत हो रही हैं।

इस उपलक्ष में 28 अप्रैल को राज्य कार्यालय परिसर में श्रीमती सक्सेना का विदाई समारोह एवं नव नियुक्त राज्य संचालक डॉ स्वाति मोघे का स्वागत समारोह आयोजित किया गया, जिसमें सेवानिवृत्त वरिष्ठ वन अधिकारियों, अन्य संगठनों के प्रमुख एवं बड़ी संख्या में वॉलिंटियर्स ने भाग लिया। समारोह के दौरान आर एन सक्सेना, सेवानिवृत्त भारतीय वन सेवा के वरिष्ठ अधिकारी ने कहा किसी भी काम में सफलता तब मिलती है जब उस काम को एंजॉय करते हुए किया जाए। सुहास कुमार, सेवानिवृत, भारतीय वन सेवा के वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि मैंने इतने वर्षों में श्रीमती सक्सेना में जो जुझारूपन देखा है वह बहुत कम देखने को मिलता है। महिला होते हुए भी उन्होंने विपरीत परिस्थितियों में भी सही रास्ता दिखाते हुए राज्य कार्यालय को नई ऊंचाइयां प्रदान कीं। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान के पूर्व संचालक एवं वरिष्ठ भारतीय वन सेवा के अधिकारी श्रीनिवास मूर्ति ने श्रीमती सक्सेना को उनके सफल कार्यकाल के लिए बधाई दी एवं नवनियुक्त राज्य संचालक डॉ स्वाति मोघे को उनके भविष्य के लिए उन्हें शुभकामनाएं दीं। इस अवसर पर उपस्थित नईदुनिया समाचार पत्र के मैनेजिंग डायरेक्टर डॉ. सुरेंद्र तिवारी ने नवनियुक्त राज्य संचालक को अपनी शुभकामनाएं देते हुए श्रीमती संगीता सक्सेना के साथ किए गए कार्यों को याद किया एवं सफल कार्यकाल पर उन्हें बधाई दी।

नवनियुक्त राज्य संचालक डॉ स्वाति मोघे ने अपने उद्बोधन में श्रीमती सक्सेना के कार्यों को याद करते हुए कहा कि वह उनके द्वारा स्थापित परंपराओं एवं प्राकृतिक संरक्षण पर्यावरण सुरक्षा के इस पुनीत कार्य को आगे बढ़ने का प्रयास करेंगी। अपने उद्‌बोधन में श्रीमती संगीता सक्सेना ने कहा कि मेरा भरपूर सहयोग, समर्थन एवं मार्गदर्शन हमेशा राज्य कार्यालय के लिए और डब्ल्यू डब्ल्यू एफ-इंडिया के लिए बना रहेगा आप सभी को जब भी मेरी आवश्यकता हो आप मुझे याद कर सकते हैं। बहुत ही भावुक होते हुए उन्होंने गत वर्षों को याद करते हुए कहा कि मैं सौभाग्यशाली हूं कि मुझे इतनी अच्छी टीम मिली। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है कि हर बार सकारात्मक परिस्थितियां ही सामने आईं कई बार कठिन परिस्थितियों में भी हम लोगों ने अपना धैर्य नहीं खोया और अपने मिशन को आगे बढ़ाने में लगे रहे। उन्होंने नवनियुक्त संचालक श्रीमती मोघे को शुभकामनाएं दीं और कहा कि मुझे विश्वास है कि आप इस मिशन को और ऊंचाइयों तक पहुंचाएंगी।

परशुराम जयंती पर दी शुभकामनाएँ

भोपाल(काप्र)। तप, त्याग और पराक्रम के प्रतीक भगवान विष्णु के छठे अवतार भगवान परशुराम की जयंती पर उप मुख्यमंत्री राजेन्द्र शुक्ल ने प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएँ दी हैं। श्री शुक्ल ने कहा कि भगवान परशुराम का जीवन अन्याय के विरुद्ध संघर्ष और धर्म की स्थापना का प्रतीक है। हम सभी को उनके आदर्शों से प्रेरणा लेकर समाज में न्याय, सद्भावना और सेवा का भाव बढ़ाने का संकल्प लेना चाहिए।

देवड़ा ने दी शुभकामनाएं

उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने भगवान परशुराम जयंती पर प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि भगवान परशुराम भगवान विष्णु के अवतार हैं। परम तपस्वी भगवान परशुराम ने जीवन में अन्याय के विरूद्ध संघर्ष कर धर्म पताका को फहराया है। हम सभी को उनके जीवन से प्रेरणा लेनी चाहिए।

पुलिसकर्मी से मारपीट करने वाले 3 गिरफ्तार

भोपाल (काप्र)।

रानी कमलापति रेलवे स्टेशन पर ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मी से मारपीट और अभद्रता करने वाले मुख्य तीनों आरोपियों को जीआरपी भोपाल ने गिरफ्तार कर लिया है। यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक रेलवे राहुल कुमार लोढ़ा और उप पुलिस अधीक्षक बिट्टू शर्मा के निर्देशन में की गई।

घटना 26-27 अप्रैल की दरम्यानी रात करीब 1: 30 बजे की है, जब स्टेशन परिसर की पार्किंग में एक कार में महिला सहित तीन युवक शराब पीते हुए पाए गए। मौके पर ड्यूटी पर तैनात प्रधान आरक्षक नजर दौलत खान द्वारा मना करने पर आरोपियों ने उनसे गाली-गलौच करते हुए मारपीट की। भीड़ का फायदा उठाकर दो आरोपी और महिला मौके से फरार हो गए थे, जबकि आरोपी जितेंद्र यादव को तुरंत पकडक़र थाने लाया गया। इसके बाद जीआरपी ने मुकदमा दर्ज कर अन्य फरार आरोपियों की तलाश शुरू की।

पुलिस ने आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए एक विशेष टीम गठित की और लगातार संभावित ठिकानों लांबाखेड़ा, करोंद, भानपुर और चौपड़ा में दबिश दी। मंगलवार को पुलिस ने तीनों आरोपियों को मनोहर डेरी भोपाल के पास से गिरफ्तार कर लिया। ये तीनों आरोपी दिलीप अहिरवार (35 वर्ष) निवासी रुस्तमपुर, थाना निशातपुरा, भोपाल, उमर अली रजा (29 वर्ष) निवासी पंचवटी फेस-2, कोहेफिजा, भोपाल और जितेंद्र यादव (32 वर्ष) निवासी ग्राम सूलिया, थाना चौरई, जिला छिंदवाड़ा हैं। पुलिस ने घटनास्थल से एक काली स्कॉर्पियो गाड़ी भी जब्त की है, जिसका इस्तेमाल आरोपी कर रहे थे।

गिरफ्तार मुख्य आरोपी दिलीप अहिरवार ने घटनास्थल पर भीड़ को भडक़ाने के उद्देश्य से पुलिसकर्मियों से कहा कि तुम हट जाओ, तुम हिन्दू हो, ये पुलिस वाला मुसलमान है। पुलिस ने इस बयान को गंभीरता से लेते हुए भारतीय दंड संहिता की धारा 196 बीएनएस भी मामले में जोड़ दी है।

सामान्य वर्ग के निर्धन छात्रों के लिए...

निःशुल्क कोचिंग और न्यूनतम आय सीमा बढ़ाने के भेजेंगे प्रस्तावः कुशवाह

भोपाल(काप्र)।

सामान्य निर्धन वर्ग के प्रतिभाशाली छात्र-छात्राओं को प्रतियोगी परीक्षाओं के लिये निः शुल्क कोचिंग तथा अन्य शासकीय योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के लिये आय की न्यूनतम सीमा को बढ़ाये जाने का प्रस्ताव राज्य शासन को भेजा जायेगा। यह निर्णय सामाजिक न्याय, दिव्यांगजन कल्याण मंत्री तथा मध्यप्रदेश राज्य सामान्य वर्ग कल्याण आयोग के अध्यक्ष नारायण सिंह कुशवाह की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में लिया गया।

श्री कुशवाह ने कहा कि सामान्य वर्ग के गरीब हितग्राहियों को राज्य शासन की विभिन्न योजनाओं का लाभ प्राथमिकता के साथ उपलब्ध कराने के लिये आयोग गठित किया गया है। उन्होंने कहा कि आयोग के माध्यम से 11 विभिन्न योजनाएँ संचालित की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि स्कूल शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार, चिकित्सा शिक्षा एवं उच्च शिक्षा विभाग द्वारा विभिन्न छात्रवृत्ति एवं प्रोत्साहन योजनाएँ संचालित की जा रही हैं। इन योजनाओं से दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि को भी बढ़ाये जाने की आवश्यकता है। उन्होंने उच्च शिक्षा ऋण गारंटी योजना के तहत भी निर्धारित 100 विद्यार्थियों की अधिकतम सीमा को बढ़ाये जाने की आवश्यकता जताई। श्री कुशवाह ने कहा कि आयोग द्वारा इन सभी योजनाओं में वृद्धि के प्रस्ताव शासन को भेजे जायेंगे। श्री कुशवाह ने पशुपालकों के लिये पशुपालन विभाग द्वारा संचालित आचार्य विद्यासागर गौ-संवर्धन योजना को प्रोत्साहित करने के निर्देश भी दिये। योजना में वर्ष 2024-25 में 1559 पशुपालकों को 5 करोड़ 20 लाख से अधिक की अनुदान राशि उपलब्ध करायी गयी है। उन्होंने योजना के व्यापक प्रचार-प्रसार के निर्देश पशुपालन विभाग के अधिकारियों को दिये। बैठक में सामाजिक न्याय, पशुपालन, स्कूल शिक्षा, उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा और संस्थागत वित्त विभाग के अधिकारी उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री ने की परशुराम जयंती पर प्रदेशवासियों के कल्याण की प्रार्थना

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने भगवान विष्णु के अवतार, परम तपस्वी भगवान परशुराम जयंती की प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कहा कि भगवान परशुराम, पृथ्वी पर शौर्य के अतुलनीय प्रतिमान हैं, उनकी कृपा सभी पर बनी रहे। डॉ. यादव ने परशुराम जयंती पर ईश्वर से प्रदेशवासियों के लिए सुख-समृद्धि और कल्याण की प्रार्थना की है।

नृत्य कला के संरक्षण के लिए सरकार संकल्पित

डॉ. यादव ने विश्व नृत्य दिवस पर देश-प्रदेश के सभी कलाकारों को बधाई एवं शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कहा कि नृत्य अभिव्यक्ति का एक सशक्त माध्यम है, जिसमें आत्मा, शरीर के साथ लयबद्ध होकर आनंद का अनुभव करती है। उन्होंने कहा कि सांस्कृतिक विरासत को जीवंत रखने वाली नृत्य कला के संरक्षण और संवर्धन के लिए मध्यप्रदेश सरकार पूरी तरह से दृढ़ संकल्पित है।

हादसे में गई जान, मृतक के परिजन को मिलेगा 73 लाख का मुआवजा

भोपाल (काप्र)। मोटर दुर्घटना के एक मामले में राजधानी की अदालत ने वाहन दुर्घटना में हुई मृत्यु पर व्यवसायी के परिजन को 73 लाख रुपए मुआवजा राशि देने के आदेश दिए हैं। तृतीय अपर जिला न्यायाधीश श्रीमती प्रीती साल्वे ने यह फैसला सुनाया है। कुरावर जिला राजगढ़ निवासी स्व. रफीक मंसूरी कुरावर में आईस्क्रीम पार्लर का व्यवसाय करते थे तथा पत्नी श्रीमती मल्का बी, दो पुत्र एवं पिता के साथ निवास करते थे। एडवोकेट रणधीर सिंह ठाकुर ने बताया कि दिनांक 23.12.2022 को मृतक रफीक मंसूरी ग्राम रूनाहा से साथी हलीम द्वारा चलित कार से कुरावर जा रहे थे। तभी नरसिंहगढ कुरावर रोड स्थित झाडला जोड के पास कार चालक हलीम द्वारा कार को तेज रफ्तार से चलाकर डिवाईडर से टकराकर पलट दिया। जिससे रफीक मंसूरी की दुर्घटना स्थल पर ही मृत्यु हो गई थी। घटना की रिपोर्ट थाना कुरावर में की गई थी। मृतक के परिजनों की ओर से कार चालक, स्वामी एवं बीमा कंपनी लिबर्टी जनरल इंश्योरेंस कंपनी के विरुद्ध अदालत में क्षतिपूर्ति राशि प्राप्त करने हेतु मुकदमा लगाया गया था। अदालत ने कार चालक को दोषी पाते हुए श्रीमती मल्का बी एवं उनके परिजन को भविष्य में भरण पोषण के लिए 6 प्रतिशत ब्याज सहित 73 लाख रुपए से अधिक की राशि का मुआवजा देने के आदेश दिए हैं।

स्पेशल खबर *उप मुख्यमंत्री शुक्ल ने विभिन्न विभाग के अधिकारियों के साथ की बैठक...*

स्वास्थ्य विभाग में रिक्त पदों पर भर्ती का कार्य शीघ्रता से करें

भोपाल(काप्र)। उप मुख्यमंत्री राजेन्द्र शुक्ल ने अधिकारियों को निर्देश दिये हैं कि राज्य शासन की मंशा के अनुरूप स्वास्थ्य विभाग में रिक्त पदों पर भर्ती का कार्य एक निश्चित समय-सीमा का निर्धारण कर शीघ्रता से पूरा किया जाए। उन्होंने वर्तमान में चल रही भर्ती प्रक्रिया की अद्यतन जानकारी भी प्राप्त की।

श्री शुक्ल ने मंगलवार को मंत्रालय में यह निर्देश स्वास्थ्य, सामान्य प्रशासन विभाग और कर्मचारी चयन मण्डल के अधिकारियों की बैठक में दिये। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि आवश्यकता होने पर नियमों में आवश्यक संशोधन करने और प्रक्रिया को सरल करने के संबंध में भी प्रस्ताव तैयार करें। बैठक में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के कर्मियों को और सुविधा दिये जाने, विभाग के चतुर्थ श्रेणी अस्पताल सहायक के 1200 रिक्त पदों की पूर्ति के लिये परीक्षा प्रारूप और पाठ्यक्रम निर्धारण करने के भी निर्देश दिये गये। श्री शुक्ल ने बैठक में कहा कि 24 घंटे सेवाएं देने वाले स्वास्थ्य कर्मियों की सेवाओं को ध्यान में रखते हुए उनके हित में बनने वाले प्रस्तावों को गंभीरता से लें। उन्होंने कहा कि वित्त और सामान्य प्रशासन विभाग के अधिकारियों से चर्चा कर की जाये। स्वास्थ्य कर्मियों की बेहतरी के लिये प्रस्ताव तैयार करे। उप मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य कर्मचारियों की वेतन विसंगति दूर करने तथा कर्मचारियों के ग्रेड-पे और एनएचएम कर्मियों को नियमित कर्मचारियों के समतुल्य सुविधाएं देने आदि पर विचार करने को कहा। बैठक में आयुक्त स्वास्थ्य तरुण राठी, संचालक श्रीमती मलिका निगम नागर, संचालक कर्मचारी चयन मण्डल संकेत मालवीय और सचिव सामान्य प्रशासन विभाग अनिल सुचारी भी मौजूद थे।

पश्चिम मध्य रेल

ई निविदा सूचना

मंडल रेल प्रबंधक (सिग्नल एवं दूरसंचार) पश्चिम मध्य रेल, भोपाल भारत के राष्ट्रपति की ओर से तथा उनके लिए कार्य करते हुए निम्न कार्य हेतु ई निविदा आमंत्रित करते है। इस टेन्डर के तहत मैनुअल प्रस्ताव मान्य नहीं होंगे एवं ऐसे प्राप्त कोई भी मैनुअल प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया जाएगा। निविदा से संबंधित दस्तावेज वेबसाइट www.ireps.gov.in पर अपलोड कर दिये गये हैं। **(1) निविदा सूचना एवं क्रमांक:** बीपीएलएनवर्क्स 2025-26 सिग्नल 03 **कार्य का नाम:** बेलेन्स वर्क फॉर प्रोविजन ऑफ फॉयर डिटेक्सन एण्ड अलार्म सिस्टम एट बैलन्स 17 स्टेशन इन BINA-GUNA-MKC, Guna-GWL & BPL-SHRN सेक्शन। **कार्य की अनुमानित लागत:** ₹1,07,45,153.20/- **निविदा फॉर्म की कीमत:** लागू नहीं **जमा की जाने वाली बयाना राशि:** ₹2,03,700/- **कार्य समापन की अवधि:** 06 माह **निविदा जमा करने एवं खोलने की दिनांक एवं समय:** दिनांक 21.05.2025, को 15:00 बजे तक। दिनांक 21.05.2025 को 15.30 बजे। **मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया:** MEC Applicable. निविदाकर्ता/ बिडर्स के पास क्लास III डीजीटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट होना आवश्यक है एवं IREPS पोर्टल पर पंजीकृत होना चाहिए। केवल पंजीकृत निविदाकर्ता/ बिडर्स ही ई-टेंडरिंग में भाग ले सकते हैं। ई-टेंडरिंग के दौरान ही सभी संबंधित दस्तावेज अपलोड करना आवश्यक है। पेमेन्ट गेटवे के द्वारा ऑनलाइन भुगतान की सुविधा उपलब्ध है। निविदा दस्तावेज की कीमत, बयाना राशि आदि का भुगतान ऑनलाइन मल्टीपल नेटबैंकिंग, डेबिट एवं केडिट कार्ड द्वारा किया जा सकता हैं।

मण्डल रेल प्रबंधक (सिगनल एवं दूरसंचार),
प.म.रे.,भोपाल

स्वच्छ भारत अभियान
एक कदम स्वच्छता की ओर

FORM NO. IV
[See sub-rule (2A) of rule 5]

DEBTS RECOVERY TRIBUNAL AT JABALPUR

797-II, Shantikunj South Civil Lines, Jabalpur (M.P.) 482001

O.A. No. 552 OF 2024

BANK OF BARODA **Applicant (s)**

Versus

M/s. CAR MART & OTHERS Defendants (s)

1. M/s. Car Mart, A Proprietorship concern through its Proprietress Smt. Meghna Mishra, Situated at Shop No.1, Maruti Nandan Complex, Sahyog Vihar, Bawadia Kalan, BHOPAL(M.P.).

2. Smt. Meghna Mishra, Wife of Shri Abhay Krishna Mishra, Proprietress of M/s. Car Mart, Resident of Ivory 21, Platinum Park, Near Mata Mandir, South TT Nagar, Huzur, BHOPAL(M.P.).

3. Shri Abhay Mishra, Son of Shri Ramcharit Mishra, Resident of Ivory 21, Platinum Park, Near Mata Mandir, South TT Nagar, Huzur, BHOPAL(M.P.).

Whereas **OA No 552/2024** was listed before Hon'ble Presiding Officer 26.06.2024

Whereas, this Hon'ble Tribunal is pleased to issue summons/notice on the said application under Section 19 (4) of the Act (OA) filed against you for recovery debts of **Rs. 21,75,820.01.**

In accordance with sub-section (4) of section 19 of the Act, you, the Defendants are directed as under :-

i. To show cause within thirty days of the service of summons as to why relief prayed for should not be granted.

ii. To disclose particulars of properties or assets other than properties and assets specified by the applicant under serial number 3A of the original application.

iii. You are restrained from dealing with or disposing of secured assets or such other assets and properties disclosed under serial number 3A of the original application pending hearing and disposal of the application for attachment of properties.

iv. You shall not transfer by way of sale, lease or otherwise, except in the ordinary course of his business any of the assets over which security interest is created and/or other assets and properties specified or disclosed under serial number 3A of the original application without the prior approval of the tribunal.

V. you shall be liable to account for the sale proceeds realized by sale of secured assets or other assets and properties in the ordinary course of business and deposit such sale proceeds in the account maintained with the bank or financial institutions holding security interest over such assets.

You are also directed to file the written stated with a copy thereof furnished to the applicant and to appear before Registrar **22/07/2025 on 10:30 A.M** at failing which the application shall be heard and decided in your absence.

Given under my hand and seal of the tribunal on this the **25th day of April, 2025**

Seal

AUTH. OFFICER
DRT, JABALPUR

FORM NO. IV
[See sub-rule (2A) of rule 5]

DEBTS RECOVERY TRIBUNAL AT JABALPUR

797-II, Shantikunj South Civil Lines, Jabalpur (M.P.) 482001

O.A. No. 1179 OF 2023

BANK OF BARODA Applicant (s)

Versus

M/s. Om Sai Pump Spares Pvt. Ltd. & Anothers Defendants (s)

1. M/s. Om Sai Pump Spares Pvt. Ltd., A Private Limited Company incorporated under the Companies Act, 2013, having its Registered Office at Plot No. 39A & 39B, Sector C, Mandideep Industrial Area, **RAISEN (M.P.)**

2. Shri Prem Kumar Arora, Director of M/s. Om Sai Pump Spares Pvt. Ltd., Resident of 04, Parsv Villa, Ragunath Nagar, E-8, **BHOPAL(M.P.)**

3. Smt. Neeru Arora, Director of M/s. Om Sai Pump Spares Pvt. Ltd., Resident of 04, Parsv Villa, Ragunath Nagar, E-8, **BHOPAL(M.P.)**

Whereas **OA No 1179/2023** was listed before Hon'ble Presiding Officer **18.12.2023**

Whereas, this Hon'ble Tribunal is pleased to issue summons/notice on the said application under Section 19 (4) of the Act (OA) filed against you for recovery debts of **Rs. 24,86,206.44/-**

In accordance with sub-section (4) of section 19 of the Act, you, the Defendants are directed as under :-

i. To show cause within thirty days of the service of summons as to why relief prayed for should not be granted.

ii. To disclose particulars of properties or assets other than properties and assets specified by the applicant under serial number 3A of the original application.

iii. You are restrained from dealing with or disposing of secured assets or such other assets and properties disclosed under serial number 3A of the original application pending hearing and disposal of the application for attachment of properties.

iv. You shall not transfer by way of sale, lease or otherwise, except in the ordinary course of his business any of the assets over which security interest is created and/or other assets and properties specified or disclosed under serial number 3A of the original application without the prior approval of the tribunal.

V. you shall be liable to account for the sale proceeds realized by sale of secured assets or other assets and properties in the ordinary course of business and deposit such sale proceeds in the account maintained with the bank or financial institutions holding security interest over such assets.

You are also directed to file the written stated with a copy thereof furnished to the applicant and to appear before Registrar **22/07/2025 on 10:30 A.M** at failing which the application shall be heard and decided in your absence.

Given under my hand and seal of the tribunal on this the **25th day of April, 2025**

Seal

AUTH. OFFICER
DRT, JABALPUR

भारत सरकार
कारपोरेट कार्य मंत्रालय
त्वरित कॉर्पोरेट समापन प्रसंस्करण केंद्र (सी-पेस),
आई.आई.सी.ए. बिल्डिंग, 7 वीं मंज़िल, प्लाट P-6,7,8,
सेक्टर-5, आई.एम.टी. मानेसर,
गुडगाँव, हरियाणा 122050.
Email: roc.cpace@mca.gov.in

Government of India
Ministry of Corporate Affairs
Centre for Processing Accelerated Corporate Exit (C-PACE)
IICA Building, 7TH Floor, Plot P-6,7,8,
Sector-5, IMT Manesar, Gurgaon,
Haryana-122050.
Email: roc.cpace@mca.gov.in

प्रारूप संख्या एसटीके-6
सार्वजनिक सूचना

(कम्पनी अधिनियम की धारा 248 की उपधारा (2) और उपधारा (4) और कम्पनी (कम्पनी रजिस्टर से कम्पनियों का नाम हटाना) नियम, 2016 के नियम 7 के अनुसरण में)

सार्वजनिक नोटिस : ROC/C-PACE/STK-2/248(2)/2024-25/210 **दिनांक:-22/04/2025**

संदर्भ

1. कम्पनी अधीनियम, 2013 की धारा 248 (2) के तहत निम्नलिखित (19) कम्पनियों का नाम मध्य प्रदेश राज्य से हटाने के मामले में:

S No.	Work Item	CIN	Hindi Name
1	AB2977185	U74210MP1982PTC001903	फेरो कंक्रीट कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड
2	AB3020838	U70109MP2019PTC0048168	एडीबीसी ब्लॉक बी कोंडोमिनियम्स प्राइवेट लिमिटेड
3	AB3020985	U70109MP2019PTC048040	एडीबीसी ब्लॉक ई कोंडोमिनियम्स प्राइवेट लिमिटेड
4	AB3022478	U72900MP2020PTC053747	मॉरफॉक्स टेक्नोलॉजीज़ प्राइवेट लिमिटेड
5	AB3023929	U47912MP2023PTC068774	शॉपर्स स्ट्रीक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
6	AB3042106	U22300MP2010PTC023406	ग्रीन इवेंट्स एंड मीडिया सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
7	AB3076418	U80904MP2013PTC030536	डिस्कवर स्टडी पॉइंट प्राइवेट लिमिटेड
8	AB3082651	U15400MP2010PTC024957	आर रिचनेस फूड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
9	AB3084822	U52609MP2018PTC045366	मन्तव ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड
10	AB3102753	U92411MP1994PTC008596	यश एविएशन लिमिटेड
11	AB3111327	U51909MP2020PTC050654	माँ-रेवा सेल्स एवंड सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड
12	AB3111564	U43299MP2024PTC069801	श्रेष्ठा इन्फ्राडिज़ाइन प्राइवेट लिमिटेड
13	AB3118005	U70100MP2011PTC026675	अमरकंटक बिल्डर्स एंड डिवेलपर्स प्राइवेट लिमिटेड
14	AB3163923	U74999MP2022PTC060454	एस.पी ब्राइट लाइट्स प्राइवेट लिमिटेड
15	AB3210758	U45200MP2007PTC019355	एजीटी मर्केंटाइल प्राइवेट लिमिटेड
16	AB3314180	U24239MP2019PTC047855	एसआरएक्स डीआर एसके लाइफ साइंस प्राइवेट लिमिटेड
17	AB3359093	U62099MP2023OPC068904	नोवीइंसाइट (ओपीसी) प्राइवेट लिमिटेड
18	AB3363995	U65929MP2019PLN049612	सर्वराज निधि लिमिटेड
19	AB3432618	U74999MP2017PTC043790	ब्रिविक हाइड्रोपावर इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड

2. इसके द्वारा यह सूचित किया जाता है कि कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 (2) के तहत कम्पनी रजिस्ट्रार को उपर्युक्त कम्पनियों के नाम कम्पनी रजिस्टर से इस आधार पर नाम हटाने का आवेदन प्राप्त हुआ है कि कम्पनी के निगमन के एक वर्ष के भीतर कारोबार आरंभ करने में विफल रहे हैं या इस आधार पर कि कम्पनी पूर्ववर्ती 2 वित्तीय वर्षों से कारोबार नहीं कर पाई है और इस अवधि के भीतर कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 455 के तहत निष्क्रिय कम्पनी की स्थिति प्राप्त करने का आदेश का आवेदन नहीं किया है या कम्पनी ने निष्क्रिय कम्पनी की स्थिति प्राप्त कर ली है, पर वे कम्पनी के रुप में पंजीकरण नहीं रखना चाहते और अत: कम्पनी रजिस्ट्रार से अपना /अपने नाम हटाने का अनुरोध किया है।
3. तदनुसार, कम्पनी रजिस्ट्रार उपर्युक्त कम्पनियों के नामों को कम्पनियों के रजिस्टर से हटाने का प्रस्ताव करता है।
4. यदि किसी व्यक्ति/संस्था को कम्पनी को कम्पनी रजिस्ट्रार से कम्पनियों का नाम हटाने के प्रस्ताव से आपत्ति है तो वह व्यक्ति /संस्था इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 30 (तीस) दिनों के भीतर उपर्युक्त कार्यालय के पते पर अपनी आपत्ति भेज सकते है।

CBC 07123/11/0129/2526

इरकान तिर्की
सहायक रजिस्ट्रार,प्रसंस्करण त्वरित कॉपरिट निकास केंद्र